सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 68/18 **निर्णय दिनांकः– 28.08.2019**

1. देवकिशन पुत्र कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंए के पास, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
2. ओमप्रकाश पुत्र कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंए के पास, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
3. विष्णुदत्त पुत्र कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंए के पास, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
4. म. मुली देवी बेवा कामड उर्फ आसुराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुंए के पास, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
5. किरण पुत्री कामड उर्फ आसुराम पत्नि रामप्रकाश जाति माली निवासी बागीनाड़ा के पास, रानीबाजार, बीकानेर।
6. मोहनी पुत्री कामड उर्फ आसुराम पत्नि हरिराम जाति माली निवासी बागवान मौहल्ला, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. दुलीचन्द पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी चांदमल जी के बाग के सामने, गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर।
2. भुपेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. तोलाराम पुत्र मंगलाराम जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
4. गवरा पत्नि तुलछा जाति माली निवासी रा.उ.प्रा.वि. श्रीरामसर पाठशाला के पास, श्रीरामसर, बीकानेर।
5. मंगतु पुत्र तुलछा जाति माली निवासी रा.उ.प्रा.वि. श्रीरामसर पाठशाला के पास, श्रीरामसर, बीकानेर।
6. चनणा पुत्री तुलछा पत्नि शिवलाल जाति माली निवासी रामदेव मंदिर के पास, श्रीरामसर, बीकानेर।
7. अखीदेवी तथाकथित पत्नि तुलछा जाति माली रा.उ.प्रा.वि. श्रीरामसर पाठशाला के पास, श्रीरामसर, बीकानेर।(मृतक)
8. बाधुदेवी पुत्री तुलछा पत्नि आसाराम जाति माली निवासी गहलोत क्वार्टर के पास, रानीबाजार, बीकानेर।

9. भगवती पुत्री तुलछा पत्नि मोहनलाल जाति माली निवासी केसरदेसर कुए के पास, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
10. जेठी पुत्री तुलछा पत्नि ईशरराम जाति माली निवासी धावड़ियों का बास, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
11. बरजी पुत्री तुलछा पत्नि भंवरलाल जाति माली निवासी बागीनाड़ा हनुमान के पास, रानीबाजार, बीकानेर।
12. सुन्दर पुत्री तुलछा पत्नि ओमप्रकाश जाति माली निवासी बागवानों का मौहल्ला, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।
14. जयदयाल | पुत्रगण प्रभूदयाल जाति जाट निवासी वैद्य मघाराम
15. राकेशकुमार | कॉलोनी, बीकानेर।
16. महावीर प्रसाद पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी ए 104 करणीनगर बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14—07—2009
सहायक आयुक्त उपनिवेशन—प्रथम, बीकानेर

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री सत्यपाल सिंह शेखावत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 5, 6
3. श्री नन्दराम कॉसनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14—07—2009 जिसके द्वारा न्याय प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए व विधि विरूद्व तरीके से डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स के संयुक्त खाते की भूमि ग्राम कानासर के खेत खसरा नम्बर 763 रकबा 55 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 739 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 तादादी 112 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है। जिस पर पारिवारिक समझौते के अनुसार अपीलांट्, रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 ता 13 अपने—अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उसी के अनुरूप नजरी नक्शा के बरंग गुलाबी खसरा नम्बर 763 तादादी 37 बीघा 8 बिस्वा अपीलांटान के वारिस कामड उर्फ आसुराम का 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है। अपीलांटान ने अपने जीवनकाल में ही उनके साथ व उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलांटान इसी अनुसार आज दिनांक तक उक्त भूमि बदस्तूर काबिज काश्त चले आ रहे है। मौके पर खेत के चारों और पत्थर की पट्टियॉ लगी हुई है तथा मौके पर कमरा व पानी का कुण्ड बना हुआ है।

उन्होनें आगे बताया कि पारिवारिक समझौते के अनुसार खसरा नम्बर 739 तादादी 37 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 1/3 हिस्सें पर काबिज काश्त है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 763 तादादी 18 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 739 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा कुल 37 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 12 के वारिस तुलछाराम के हिस्से में 1/3 भूमि निहित है तथा तुलछाराम की मृत्यु के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 12 उक्त हिस्से के कानूनी वारिस है। उक्त भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूपेन्द्र कुमार ने दिनांक 18—06—2009 को एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर कायम प्रतिवादीगणों को किसी प्रकार की सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 14—07—2009 को एक माह की अवधि के भीतर ही वादीगण के कथनानुसार वाद डिक्री कर दिया गया। जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी वादपत्र पर संबंधित पक्षकारों को साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व नियमानुसार तनकीयात् कायम की जाकर, तनकीयात् का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए मात्र वादीगण को बजा फायदा पहुॅचानें के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील में अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। जबकि प्रकरण की वस्तुस्थिति यह है कि वाद दिनांक 18—06—2009 को पेश हुआ तथा आदेश दिनांक 14—07—2009 को पारित किया गया। प्रकरण में यदि यह भी मान लिया जावे कि प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये है तब भी कानूनी रूप से एक माह तक उक्त रजिस्टर्ड नोटिस के उपरान्त पक्षकारों की उपस्थिति हेतु पत्रावली जैरकार रखी जाती है। परन्तु प्रस्तुत मामलें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन—फानन में एक माह के भीतर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेवेन्यू कोर्ट मैनूअल में उपलब्ध प्रावधानों का उल्लंधन किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को ना तो सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया ना ही कोई सूचना अथवा कोई नोटिस तामील करवाये गये है ना ही वादगत् भूमि के विभाजन से पूर्व नियम 18 ता 21 की पालना की गई है। वादगत् भूमि पर अपीलांट अपने हक व हिस्से की भूमि पर वर्षो से ढाणी बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वादगत् भूमि का वादी/रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार खाता विभाजन के आदेश व डिक्री पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है। जो निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के संबंध में कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान किये गये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा व विधि विरूद्व आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 5 व 6 द्वारा अपीलांट की बहस की ताईदी की गई व शेष रेस्पोडेन्ट की तरफ से श्री सत्यपाल सहू ने हिदायत पैरवी के अभाव में बहस में शामिल होने से इंकार किया।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 14—07—2009 के विरूद्व अपील दिनांक 06—11—2010 को पेश की गई है। अपील के साथ मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट की पीठ पीछे पारित फर्जी तरीके से पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट का मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में वादी भूपेन्द्र कुमार ने दिनांक 18—06—2009 को अपीलांट्स सहित कुल 11 व्यक्तियों को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाकर वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किये जाकर दिनांक 29—06—2009 को सुनवाई रखी गई। उक्त तिथि को पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने के कारण अगली सुनवाई दिनांक 13—07—2009 को रखी गई। जिसमें सम्मन की तामीली मानकर सभी प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। पैरोकारराज द्वारा जवाब पेश करना बताया गया, परन्तु जवाब पत्रावली में शामिल नहीं है। अगले दिन दिनांक 14—07—2009 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। तहसीलदार ने सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा दिनांक 18—06—2009 को जारी पत्र का हवाला देकर दिनांक 10—07—2009 को विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये गये जबकि दिनांक 18—06—2009 को तो केवल वाद पेश हुआ था।

तहसीलदार ने वादी के निर्देशन में की गई कार्यवाही के तहत उपखण्ड अधिकारी के कथित पत्र का फर्जी हवाला देते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्ताव मंगवाये बिना ही विभाजन प्रस्ताव पेश कर दिये तथा प्रतिवादीगण को जारी सम्मन की तामीली का परीक्षण किये बिना ही सहखातेदारों की पीठ पीछे एक ही दिन में सहायक आयुक्त

उपनिवेशन, प्रथम बीकानेर द्वारा अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। सभी 10 प्रतिवादीगण को जारी सम्मत दो व्यक्तियों की मौजूदगी में धर पर चस्पा करने बता दिये गये। इस प्रकार की तामीली कार्यवाही पूर्णतः फर्जी तथा न्यायिक प्रक्रिया को दूषित करने वाली है। तामील कुनिन्दा से लेकर पटवारी, तहसीलदार तथा सहायक आयुक्त उपनिवेशन ने वादी के निर्देशन में फर्जी कार्यवाही संचालित की। जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया तथा न्यायालय की गरिमा को ताक पर रखते हुए एकतरफा, मनमानी, विधि विरूद्व एवं अविवेकपूर्ण कार्यवाही की है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम, बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14—07—2009 निरस्त किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि वाद एवं अपील में वर्णित भूमि की वाद दायर होने की तिथि की स्थिति कायम की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28—08—2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर